

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प.1(1)शिक्षा-4 / 2008

जयपुर, दिनांक: 25/4/11


निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- प्राचार्य स्नातक/उपाचार्य पदों पर पदोन्नति पर दिये जाने वाले राजस्थान सेवा नियम के नियम 26ए का लाभ दिये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- पत्रावली संख्या प.1(11)स्था/निकाशि/79 पर वित्त विभाग द्वारा अपने आई डी सं. 220901380 दिनांक 18.8.2009 द्वारा दी गयी राय के संबंध में।

महोदय


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वित्त विभाग की राय के संबंध में आपके द्वारा पत्रावली पर दिये गये प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर अपने आई डी संख्या 101100167 दिनांक 18.2.2011 द्वारा दी गयी राय के अनुसार व्याख्याता चयनित वेतनमान से प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/उपाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय को वेतन स्थिरीकरण पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 ए का लाभ देय होगा।

भवदीय,


(मधुकर गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि विशेषाधिकारी, वित्त (नियम) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।


विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा